

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- प. 70./पुराण/आवास/नीलागी/नीलागी/उप-एम्. जय /2012/ 3105 दिनांक:- 12-4-12

कार्यालय आदेश


आवासन मण्डल के खण्ड-दौसा कार्यालय के अधीन सवाई माधोपुर शहर की स्काऊट फील्ड आवासीय योजना में निम्नलिखित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (घरौदा) के तीन आवास को नीलागी द्वारा मण्डल के वर्तमान नियमों एवं शर्तों के तहत निस्तारण किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

अवशिष्ट आवासों का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास नम्बर	कुल संख्या	विवरण
1	स्काऊट फील्ड योजना, सवाई माधोपुर	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (घरौदा)	2/363, 2/384 व 2/387	03	--


संबंधित उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर तथा आवासीय अभियन्ता, खण्ड-दौसा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आवासों को अरखवारों के माध्यम से खुली नीलागी (बन्द लिफाफे में नहीं) द्वारा निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-मान0 अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा0 आ0 म0, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार रा0 आ0 म0, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, पी. एण्ड एम. रा0 आ0 म0, जयपुर।
4. जन सम्पर्क अधिकारी, रा0 आ0 म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त-वृत्त-तृतीय, रा0 आ0 म0, जयपुर।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-दौसा, रा0 आ0 म0, दौसा।
7. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर उलवाये व संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
8. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक